Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 34-2019/Ext.] CHANDIGARH, THURSDAY, FEBRUARY 21, 2019 (PHALGUNA 2, 1940 SAKA)

HARYANA VIDHAN SABHA SECRETARIAT

Notification

The 21st February, 2019

No. 08-HLA of 2019/13/3858.— The Haryana Clinical Establishments (Registration and Regulation) Adoption (Amendment) Bill, 2019, is hereby published for general information under proviso to Rule 128 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly :-

Bill No. 08- HLA of 2019

THE HARYANA CLINICAL ESTABLISHMENTS (REGISTRATION AND REGULATION) ADOPTION (AMENDMENT) BILL, 2019

A

BILL

to amend the Haryana Clinical Establishments (Registration and Regulation) Adoption Act, 2018.

BE it enacted by the Legislature of the State of Haryana in the Seventieth Year of the Republic of India as follows:-

Short title and commencement.

1. (1) This Act may be called the Haryana Clinical Establishments (Registration and Regulation) Adoption (Amendment) Act, 2019.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

Amendment of section 1 of Haryana Act 11 of 2018.

2. After sub-section (2) of section 1 of the Haryana Clinical Establishments (Registration and Regulation) Adoption Act, 2018, the following sub-section shall be inserted, namely: -

"(2A) It shall also apply to all clinical establishments relating to diagnosis or treatment of diseases where pathological, bacteriological, genetic, radiological, chemical, biological investigations or other diagnostic or investigative services are usually carried out with the aid of laboratory or other medical equipment.".

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

Providing quality Health Care is a mandate of Article 47 of the Constitution. Keeping in view to prescribe minimum standards of facilities and to prescribe for the Registration and Regulation of Clinical Establishment in the State for matters connected therewith or incidental thereto, the Government of Haryana had adopted the Clinical Establishment (Registration and Regulation) Act,2010 (Central Act 23 of 2010) on 25th January, 2018. The Act is applicable all Clinical Establishments having more than 50 beds. Now, to improve the Minimum Standards of the Medical Diagnostic Laboratories (or Pathological Laboratories), the Government of Haryana has decided to include them in the purview of the Act.

Hence, this bill.

ANIL VIJ,
Health Minister, Haryana.

_____

Chandigarh:
The 21st February, 2019.

R. K. NANDAL,
Secretary.

[प्राधिकृत अनुवाद]

2019 का विधेयक संख्या 08-एच०एल०ए०

हरियाणा नैदानिक स्थापन (रजिस्ट्रीकरण और विनियमन) अंगीकरण (संशोधन) विधेयक, 2019
हरियाणा नैदानिक स्थापन (रजिस्ट्रीकरण और विनियमन) अंगीकरण अधिनियम, 2018
को संशोधित करने के लिए
विधेयक

भारत गणराज्य के सत्तरवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :–

संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ।

1. (1) यह अधिनियम हरियाणा नैदानिक स्थापन (रजिस्ट्रीकरण और विनियमन) अंगीकरण (संशोधन) अधिनियम, 2019, कहा जा सकता है।

(2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तिथि से लागू होगा।

2018 का हरियाणा अधिनियम 11 की धारा 1 का संशोधन।

2. हरियाणा नैदानिक स्थापन (रजिस्ट्रीकरण और विनियमन) अंगीकरण अधिनियम, 2018 की धारा 1 की उप–धारा (2) के बाद, निम्नलिखित उप–धारा रखी जाएगी, अर्थात् :–

''(2क) यह उन बीमारियों के निदान अथवा उपचार से सम्बन्धित सभी नैदानिक स्थापनों पर भी लागू होगा, जहां रोगविज्ञान, जीवाणुविज्ञान–सम्बन्धी, आनुवंशिक, रेडियोलॉजिकल, रसायन, जैविक अन्वेषण अथवा अन्य निदान अथवा अन्वेषण सम्बन्धी सेवाएं जो प्रायः प्रयोगशाला अथवा अन्य चिकित्सा उपकरण की सहायता से चलाई जा रही हैं।''।

उद्देश्यों एवं कारणों का विवरण

गुणवत्ता स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करना संविधान के अनुच्छेद 47 का जनादेश है। सुविधाओं के विहित न्यूनतम मानकों के दृष्टिगत तथा राज्य में नैदानिक स्थापना के पंजीकरण और विनियमन के लिए और इससे सम्बंध या उससे आनुषंगिक मामलों को विहित करने हेतु, हरियाणा सरकार द्वारा 25 जनवरी, 2018 को नैदानिक स्थापन (रजिस्ट्रीकरण और विनियमन) अधिनियम, 2010 (2010 का केन्द्रीय अधिनियम 23) का अंगीकरण किया गया था। यह अधिनियम पचास बिस्तर से अधिक वाली सभी नैदानिक स्थापनों पर लागू है। अब, चिकित्सा नैदानिक प्रयोगशालाओं (या रोग विज्ञान प्रयोगशालाएं) के न्यूनतम मानको में सुधार करने हेतु हरियाणा सरकार द्वारा अधिनियम के कार्यक्षेत्र में चिकित्सा नैदानिक प्रयोगशालाओं को शामिल करने का निर्णय लिया गया है।

इस लिये यह बिल ।

अनिल विज,
स्वास्थ्य मंत्री, हरियाणा।

चण्डीगढ़:
दिनांक 21 फरवरी, 2019.

आर० के० नांदल,
सचिव।

56869—H.V.S.—H.G.P.,Chd.